है, प्रोन्नति प्राप्त लेखपालों में से अधिकांश सदस्यों की कार्यरत जनपद में ही नियुक्ति करवायी गयी, देवीपाटन मंडल को छोड़कर शेष जनपदों में कृषि गणना मानदेव 2005 को भेजवाया गया। लेखपालों के रिक्त पदों को भरने हेतु पूर्व से लगे प्रतिबंध को समाप्त करवाकर शासनादेश निर्गत करवाया गया, राजस्व निरीक्षक के स्वीकृत पद 1326 के अतिरिक्त 1400 नये पदों के सृजन का प्रस्ताव शासन में भेजवाया गया, लेखपाल से प्रोन्नति राजस्व निरीक्षकों का नायब तहसीलदार पद पर प्रोन्नति करवाने हेतु प्रयास जारी है। जून 2013 तक रिक्त होने वाले राजस्व निरीक्षक के पदों को जोड़कर प्रोन्नति हेतु प्राथमिक प्रयास जारी है।

ए0सी0पी0 में उत्पन्न विसंगति हेतु संस्था के प्रत्यावेदन को शासन द्वारा निरस्त किये जाने के फलस्वरूप भी हम अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रयासरत है।

वर्तमान समय में लेखपाल संवर्ग से ही प्रोन्नति प्राप्त कतिपय संगठन/संवर्ग अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति हेतु राजस्व विभाग के मूलभूत ढांचे में परिवर्तन करने हेतु मा0 उच्च न्यायालय एवं शासन/परिषद में संकीर्ण मानसिकता के साथ कार्यवाही करने हेत कुत्सित प्रयास दिवास्वपन के रूप में करके संवर्ग को अपूर्णनीय क्षति पहुंचाने की कुचेष्ठा निरन्तर कर रहे है, जिन्हें रोकने हेतु संस्था के धन, पदाधिकारियों का समय व उनकी ऊर्जा बेकार हो रही है, जिसके कारण मूलभूत मांगों पर सार्थक कार्यवाही में विलम्ब स्वाभाविक है। उक्त प्रकरण में प्रधान कार्यालय संवेदनशीलता के साथ प्रत्येक स्तर पर निरन्तर विरोध स्वरूप कार्यवाही हेतु प्रत्यावेदन समय–समय पर प्रस्तुत कर रहा है।

प्रधान कार्यालय के कड़े निर्देशों के बावजूद संस्था के विधान में विहित व्यवस्थानुसार शाखाओं एवं उपशाखाओं में कतिपय स्थानों को छोड़कर शेष अधिकांश स्थानों में त्रैमासिक बैठक आयोजित नहीं की जा रही है और न ही आयोजित बैठकों की कार्यवाहियों/आडिट रिपोर्ट प्रधान कार्यालय भेजी जा रही है यह पद्धति संस्था एवं संवर्गहित में नहीं है। जनपदों में नियत यात्रा भत्ता 100/–रू0 के स्थान पर 200/– नहीं लग रहा है, पेंशन प्रकरणों में सदस्यों का शोषण हो रहा है। जी0पी0एफ0 की किताबें व लेजर पूर्ण रूप से नहीं बने है, अथवा अधूरे है। अनियमित स्थानान्तरण हो रहे है। विभिन्न जनपदों में जातीय आधार पर हल्कों पर नियुक्तियां हो रही है। कतिपय पदाधिकारियों द्वारा भी एक से अधिक हल्के प्राप्त करने, अच्छा क्षेत्र प्राप्त करने हेतु संस्था को गिरवी रखकर उच्च अधिकारियों की परिक्रमा में तल्लीन है। संस्था की स्थिति वर्तमान समय में बहुत अच्छी नहीं है जबकि स्वर्ण जयंती वर्ष मनाया जा रहा है। इस पर गंभीर चिन्तन, मनन की आवश्यकता है। प्रथम ए0सी0पी0 के अन्तर्गत ग्रेड पे 2400 देने के सम्बन्ध में युवा साथियों को काफी आर्थिक छति हो रही है एवं उनका आक्रोशित होना स्वाभाविक है, परन्तु संस्था ने अथक प्रयास किये फिर भी तर्कयुक्त प्रत्यावेदन को वित्त विभाग ने निरस्त कर दिया। मा0 उच्च न्यायालय में भी बिना अनुमति के कतिपय प्रभावित सदस्यों द्वारा रिट याचिकाएं योजित की जो निरस्त हो गयी। यह प्रकरण केवल लेखपाल संवर्ग को ही नहीं अपितु प्रदेश के समस्त राज्य कर्मचारियों के हितों से जुड़ा है फिर भी वर्तमान प्रथम ए0सी0पी0 व नई पेंशन नीति के सम्बन्ध में हम शांत नहीं बैठे है बल्कि कई स्तर पर प्रयासरत है और मैं आश्वस्त करता हूं कि समय अधिक लग सकता है परन्तु प्रथम ए0सी0पी0 के सम्बन्ध में संस्था अपने सदस्यों को न्याय दिलवाने हेतु संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है।

जनपदों में जी0पी0एफ0 के खाते चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में तत्काल स्थानान्तरित करवाने की अपेक्षा की। अप्रैल 2012 से पुराने खातों में ब्याज नहीं दिया जा

शेष पेज 3.....